

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
वेद पारायण योजना
(2018 से शुरु की गयी योजना)

योजना का शीर्षक:

वेद पारायण योजना महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, में 14-12-2017 को आयोजित शासी परिषद् बैठक में अनुमोदित एवं 24-5-2018 को आयोजित शासी परिषद् बैठक में निर्धारित एक नई योजना है। इस योजना का उद्देश्य है चारों वेदों की (विविध शाखाओं का) मौखिक परंपरा का संरक्षण/ सस्वर पाठ के प्रचार के लिए, वेदों की मौखिक परंपरा / सस्वर पाठ की प्रासंगिकता को आधुनिक समाज में बनाए रखना है। यह योजना प्रतिष्ठित संस्थानों के विविध कार्यक्रमों के दौरान जगह जगह पर वेद संहिता / वेद-विकृति पाठ पारायण आयोजित करने पर केंद्रित है ताकि वेदों की मौखिक परंपरा / सस्वर पाठ की प्रासंगिकता पर जागरूकता पैदा की जा सके। प्रतिष्ठान की स्थापना वेदों की मौखिक परंपरा के संरक्षण, संवर्धन और वेदों की लोकप्रियता बनाए रखने के लिए की गई थी। इसलिए वेद पारायण भी इस उद्देश्य से सम्बद्ध है। शासी परिषद् के निर्णय के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नीति तैयार की गई है।

कार्यान्वयन की तिथि:

यह योजना प्रतिष्ठान के आन्तरिक स्रोतों से उपलब्ध बजट से किये जाने वाले वित्त पोषण से लागू होगी, क्योंकि वेद पारायण योजना का उद्देश्य आन्तरिक वित्तीय स्रोतों से वित्त पोषित होकर चल रही योजना के समान है। अतः शासी परिषद् के निर्णय से यह योजना जारी मानी जयेगी।

योजना के उद्देश्य

वेद पारायण योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

अ) वेद पारायण में निपुण, प्रतिष्ठान वेद पाठीअध्यापक/गुरुशिष्यपरम्परा अध्यापक / किसी भी वेद पंडित की संपूर्ण भागीदारी द्वारा वेद पारायण / आवृत्ति के माध्यम से मौखिक वेद संरक्षण को बढ़ावा देना और भारत के विभिन्न प्रदेशों में वेदों को/ वेदों की मौखिक परंपरा / सस्वर पाठ को लोकप्रिय बनाना।

आ) परंपरा के अनुसार सस्वर-वेद पारायण के माध्यम से शांति, समृद्धि और सामाजिक कल्याण एवं समरसता का संदेश फैलाना

इ) किसी भी स्थान पर वेद पारायण के माध्यम से ऋग्वेद-सस्वर-वेद पारायण को बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना ताकि अधिकतर छात्र वेदों के सस्वर अध्ययन में नियमित शामिल हो जाएं।

ई) किसी भी स्थान पर वेद परयाण के माध्यम से शुक्ल-यजुर्वेद वेद पारायण को बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना ताकि अधिकतर छात्र वेदों के अध्ययन में नियमित शामिल हो जाएं।

उ) किसी भी स्थान पर वेद परयाण के माध्यम से कृष्ण यजुर्वेद सस्वर-वेद पारायण को बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना ताकि अधिकतर छात्र वेदों के अध्ययन में नियमित शामिल हो जाएं।

ऊ) वेद पारायण के माध्यम से किसी भी स्थान पर साम वेद सस्वर-वेद पारायण को बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना ताकि अधिकतर छात्र वेदों के अध्ययन में नियमित शामिल हो जाएं।

ऋ) किसी भी स्थान पर वेद परयाण के माध्यम से अथर्व वेद सस्वर-वेद पारायण को बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना ताकि अधिकतर छात्र वेदों के अध्ययन में नियमित शामिल हो जाएं।

योजना के लिए वित्तीय सहायता:

प्रतिष्ठान की शासी परिषद् बैठक द्वारा अनुमोदन पर, वेदों की मौखिक परंपरा को बढ़ावा देने के लिए 14-12-2017 को आयोजित बैठक में उज्जैन ने इस योजना के तहत प्रति वर्ष 10 लाख रुपये निर्धारित किए गये हैं।

वेद पारायण योजना के आवेदन, नियम और शर्तों की प्रक्रिया

अ) कोई भी वेद पाठी / वेद पाठशाला / वैदिक संस्थान / गुरुशिष्य इकाइयों / वेद पंडित / सस्वर-वेद पारायण / चतुर्वेद पारायण / वेद पारायण (पूर्ण संहिता अथवा और विकृति पाठ) योजना के अन्तर्गत केवल भारत के भीतर एक मान्यता प्राप्त जगह में आयोजित करने के लिए आवेदन / प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

आ) प्रतिष्ठान वैदिक पंडित / पंडितों को भारत के भीतर एक मान्यता प्राप्त स्थान पर/प्रतिष्ठान के मुख्यालय में भी वेद पारायण (पूर्ण संहिता अथवा और विकृति पाठ) करने का भी अनुरोध कर सकता है, जिसे किसी विशेष स्थान पर विशेष अवसर माना जाता है।

इ) प्रतिष्ठान वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित करके / वेद पाठशाला/ संस्थान /पंडितों को पत्र लिखकर और आवेदन प्राप्त करने के लिए योजना के तहत आवेदन के लिए विज्ञापन किया जयेगा। सचिव शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित तीन वैदिक पंडितों की एक समिति गठित करके आवेदनों को स्वीकृति देंगे और परियोजना समिति को इस मामले की रिपोर्ट करेंगे।

ई) आवेदनों के प्रोसेसिंग के बाद, आवश्यक शर्त और दस्तावेजों की शर्तों का उल्लेख के साथ स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। सभी राशि केवल आरटीजीएस-पीएफएस के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है।

उ) स्थान / संस्थान / वेद पंडित का चयन करते समय, सभी वेदों का तथा एनईआर सहित सभी क्षेत्रों का और सस्वर-वेद पारायण का विचार किया जयेगा। प्रतिवर्ष कोई वेद / शाखा नहीं छोड़ी जाएगी।

ऊ) सस्वर वेद पारायण (पूर्ण संहिता और अथवा विकृति पाठ) कर रहे प्रत्येक वेद पंडित को मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यह इस प्रकार होगा-

- प्रति दिन रु.3000/- (तीन हजार मात्र) मानदेय; प्रति दिन रु. 1000/- (एक हजार मात्र) आवास एवं भोजन व्यय और और मूल टिकटों के प्रस्तुति पर अधिकतम ए.सी. द्वितीय रेल का किराया अथवा स्लीपर का यथार्थ किराया भुगतान किया जाएगा।
- ऋग्वेद पारायण के लिए, अधिकतम 7 दिन का मानदेय का भुगतान होगा
- कृष्ण यजुर्वेद पारायण के लिए अधिकतम 6 दिन का मानदेय का भुगतान होगा;
- माध्यन्दिन और काण्व संहिता पारायण के लिए अधिकतम 5 का मानदेय का भुगतान होगा;
- सामवेद पारायण के लिए अधिकतम 6 का मानदेय का भुगतान होगा
- अथर्ववेद पारायण के लिए अधिकतम 5 का मानदेय का भुगतान आदर्श रूप से निर्धारित किए गए हैं।
- यदि प्रतिष्ठान के संपूर्ण वेद अध्ययन किये छात्रों ने अपने पाठशाला / वेद गुरु के अधीन सस्वर वेद पारायण में भाग लेंगे ऐसे मामलों में छात्रों को प्रति दिन रु. 500/- (पंच सौ मात्र) आवास एवं भोजन व्यय और मूल टिकटों के प्रस्तुति पर अधिकतम द्वितीय रेल का किराया।

विकृति पाठ पारायण के लिए उपर्युक्त निर्धारित दिन एवं मानदेय दोगुना हो जाएंगे।

वेद पारायण की परंपरा का सख्ती से पालन करना वेद पारायण कर्ता एवं वेद पंडित का कर्तव्य होगा।

ऊ) एक बार वेद पारायण किसी स्थान / संस्थान / किसी वेद पंडित द्वारा किया जाता है, तो उस स्थान / संस्थान / उसी पंडित द्वारा प्रतिष्ठान वेद पारायण योजना के तहत उपलब्धि दो साल के अंतराल के बाद ही वेद पारायण का आवेदन कर सकते हैं।

ऋ) यदि आवंटित बजट की सीमा तक आवेदन प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए जाते हैं, ऐसे योग्य मामलों में, प्रतिष्ठान के विवेकाधिकार पर दो वर्षों के अंतर को नजर-अंदाज किया जा सकता है।

ए) धन राशि की प्रतिपूर्ति के लिए कार्यक्रम के बाद, वेद पारायण कार्यक्रम के डीवीडी / सीडी / फोटो / साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ।

ऐ) कार्यक्रम के दौरान, " महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, के वेद पारायण योजना में प्राप्त आर्थिक अनुदान से आयोजित कार्यक्रम " इस प्रकार से प्रतिष्ठान का नाम और वित्तीय समर्थन प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए ।

कठिनाइयों को दूर करना

यदि किसी भी कठिनाई योजना के उचित कार्यान्वयन में बाधा डालती है, तो प्रतिष्ठान के माननीय उपाध्यक्ष जी के पास योजना के उद्देश्यों के अनुरूप कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति होगी और इस तरह के फैसले को शासी परिषद् की अगली बैठक में सूचित किया जाएगा ।

MSRVVP- VEDA PARAYANA SCHEME

Title of the Scheme :

Veda Parayana Scheme shall be a new scheme approved by the Governing Council of the MSRVVP, Ujjain in the meeting held on 14-12-2017 for the promotion of oral tradition/Sasvara-Patha of four Vedas, so that the relevance of Vedas and Vedic knowledge are established in the modern society. The scheme further focuses to conduct the Veda Samhita/ Veda-Vikriti Patha parayana at every place during reputed programs/in Institutes so that awareness is created.

As per the decision, the detailed policy is framed hereunder for the implementation of the scheme.

MSRVVP was established for the preservation and popularization of oral tradition of the Veda-s. Hence the Veda Parayana is also aligned with the objectives of the Pratishtan.

Date of Implementation:

The Scheme shall come into effect from the permission to start the scheme within the budgeted funding available with MSRVVP as approved by the M/o HRD, as the objective of the Veda Parayana Scheme is similar to the ongoing scheme funded by the Pratishtan.

Aims and objectives of the Scheme:

Veda Parayana Scheme has the following objectives:

The scheme aims to:

- a) Promote, and popularize each of the Vedas with oral intonation through Veda Parayana by participation of MSRVVP Veda teachers/ any other Veda Pandit who are well versed in the Veda Parayana.
- b) Spread the message of peace, prosperity and societal well-being through Sasvara-Veda Parayana as per tradition
- c) Promote, and popularize vedic intonation through Veda Parayana in any place so that more number of students join the study of Vedas
- d) Promote, and popularize Shukla Yajurvedic intonation through Veda Parayana in any place so that more number of students join the study of Vedas

- e) Promote, and popularize Krishna Yajurvedic intonation through Veda Parayana in any place so that more number of students join the study of Vedas
- f) Promote, and popularize Sama Vedic intonation through Veda Parayana in any place so that more number of students join the study of Vedas
- g) Promote, and popularize Atharva Veda intonation through Veda Parayana in any place so that more number of students join the study of Vedas

Financial Support to the Scheme:

On approval by the Governing Council of the MSRVVP, Ujjain in the meeting held on 14-12-2017 for the promotion of oral tradition of the Vedas, rupees ten lakhs have been earmarked per year under this scheme.

Procedure of Application, Terms and Conditions of the Veda Parayana Scheme

- a) Any Veda Pathi/ Veda Pathashala-s/Vedic Institutes/GSP Units/ Veda Pandits/ can propose/submit application for conducting Sasvara-Veda Parayana/Chaturveda Parayana/Veda Parayana (Complete Samhita and or Vikriti Patha) in a recognized place within India.
- b) MSRVVP can also request a Vedic Pandit/Pandits to do Veda Parayana (Complete Samhita and or Vikriti Patha) in a recognized place within India having considered the special occasion in a particular place at a point of time.
- c) MSRVVP shall call for application under the scheme by publishing advertisement on MSRVVP Website/writing letters to Veda-Pathashala-s/Pandits etc and on getting applications; Secretary shall process the applications by constituting a committee of three Vedic Pandits approved by GC and report the matter to the Project Committee.
- d) After the processing, sanction order will be issued mentioning the terms of condition and documents necessary to claim the amount. All amount are transferred through RTGS/PFMS only.
- e) While selecting the place/Institute/the Veda Pandit, due consideration must be given for all regions including NER and Sasvara-Veda Parayana shall be done for all Vedas, no Veda/branch shall be left out.
- f) Each Veda Pandit doing *Sasvara Veda Parayana* (Complete Samhita and or Vikriti Patha) shall be paid a Sambhavana/Honararium of Rs. three thousand per day, boarding and lodging expenses of Rs. one thousand per day and maximum of 2nd AC TA on production of original tickets.

For the Rigveda Parayana, maximum 7 days, For Krishna Yajurveda Parayana 6 days; For Madhyandina and Kanva Samhita Parayana 5 days; for Sama Veda Parayana with Gana 6 days and for Atharva Veda Parayana 5 days are ideally stipulated.

If students of MSRVVP recognized Pathashala/any Veda Guru also part of the *Sasvara Veda Parayana*, in such case students will be paid maximum of 2nd sleeper TA and Rs. 200/- per day boarding and lodging expenses.

For Vikrti Patha Parayana the above stipulated days will be doubled.

It shall be the duty of the Veda Pandit to strictly adhere to the tradition of Veda Parayana with intonation.

- g) Once the Veda Parayana is done in a place/Institute/by a particular Veda Pandit, further Veda Parayana can be done in that place/Institute/by the same Veda Pandit under MSRVVP Veda Parayana scheme only after a gap of two years.
- h) If proposals are not received to the extent of budget allocated, in such deserving cases, the gap of two years can be relaxed at the discretion of the Pratishtan.
- i) After the programme, DVDs/CDs/Photographs/Evidence of the Veda Parayana programme must be submitted to claim the reimbursement of full amount sanctioned.
- j) During the programme, the name and financial support of MSRVVP be prominently displayed. **“म.सां.रा.वे.वि.प्र. उज्जैन, के वेद पारायण योजना में प्राप्त आर्थिक अनुदान से आयोजित कार्यक्रम”**

Removal of Difficulties

If any difficulties obstruct the proper implementation of the scheme, Vice-Chairman, MSRVVP shall have the power to remove the difficulties in consonance with the objectives of the scheme and such decision will be reported to Governing Council in the next meeting.
